भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या -1177
29/07/2026 को उत्तर के लिए

केरल के मछुआरा समुदाय को सहायता

1177. श्री संदोष कुमार पी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि
(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान केरल में पारंपरिक मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और आजीविका से जुड़ी चुनौतियों का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत केरल में मछुआरों को दी गई वित्तीय सहायता, आजीविका समर्थन और कल्याणकारी लाभों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने राज्य में मछुआरों की आय पर बढ़ते परिचालन व्यय, मछली पकड़ने में कमी और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर ध्यान दिया है; और
(घ) केरल में मछुआरों की आय, सामाजिक सुरक्षा और आजीविका के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): 'मात्स्यिकी' राज्य का विषय है और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने केरल में पारंपरिक मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और आजीविका से संबंधित चुनौतियों का कोई स्वतंत्र आकलन नहीं किया है। प्रादेशिक जल के 12 समुद्री मील (एनएम) के भीतर मत्स्यन करना तटीय राज्यों के संबंधित मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट (MFRA) के तहत आता है, जबकि 12 NM से आगे मत्स्यन भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तदनुसार, राज्य सरकारों के पास अपने अधिकार क्षेत्र में मात्स्यिकी के विकास और प्रबंधन के लिए अपने स्वयं के नियामक ढांचे/दिशानिर्देश हैं। केरल सरकार ने सूचित किया है कि वह क्षेत्र स्तरीय एजेंसियों, लाभार्थी डेटाबेस, हितधारक परामर्श और आवधिक समीक्षा के माध्यम से पारंपरिक मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और आजीविका चुनौतियों की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करती है।

इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार अपनी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के ज़रिए केरल सहित सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में मात्स्यिकी के समग्र विकास के लिए कई कदम उठा रहा है। मछुआरों का कल्याण और उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाना इन पहलों का मुख्य केंद्र रहा है।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार 2020-21 से 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) नाम की एक प्रमुख योजना कार्यान्वित कर रहा है। विगत 5 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान, विभाग ने केरल में 1413.91 करोड़ रुपए की लागत वाली मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। स्वीकृत गतिविधियों में *अन्य बातों के साथ-साथ* आजीविका और मछुआरों के कल्याण के लिए हस्तक्षेप शामिल हैं, अर्थात्, मत्स्यन प्रतिबंध अवधि के दौरान पारंपरिक मछुआरों के लिए आजीविका सहायता (1,71,033 संख्या), नावों और मत्स्यन जाल के लिए सहायता (200 यूनिट), इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेज बनाना (9 गांव), क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल फिशिंग विलेज बनाना (6 गांव), डीप सी फिशिंग वेसल्स की खरीद (20 इकाइयां), अतिरिक्त रोजगार के रूप में

बाइवाल्व कृषि (1140 इकाइयां), मत्स्य परिवहन इकाइयां (468 इकाइयां), मत्स्य स्टॉक बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल रीफ की स्थापना (42 इकाइयां) , मत्स्य सेवा केंद्र (10 संख्या) की स्थापना और विस्तार व परामर्शी सेवाओं के लिए सागर मित्रों को नियुक्त करना (222 सागर मित्र)। इसके अलावा मछुआरों को उनकी अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) भी प्रदान किए गए हैं। केरल में मछुआरों और मत्स्य किसानों को अब तक 18,908 केसीसी कार्ड स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) और (घ): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श से समय-समय पर मात्स्यिकी क्षेत्र की रेसिलिएंस और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप करती है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित पीएमएमएसवाई में अन्य बातों के साथ-साथ संसाधनों की सस्टेनेबल हार्वेस्टिग, आधुनिक तटीय मत्स्यन गांवों के विकास, और जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सक्षम (क्लाइमेट रेज़िलिएंट) गांवों के निर्माण के लिए उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, संभावित मत्स्यन के क्षेत्र (पीएफजेड) उपकरणों की खरीद, मत्स्यन प्रतिबंध की अवधि के दौरान आजीविका सहायता, सक्रिय मछुआरों को समूह दुर्घटना बीमा कवरेज, सीवीड की कृषि , बाइवाल्व की कृषि , खुले समुद्र में कैज कल्चर, सजावटी मात्स्यिकी, मत्स्य बाजार और कियोस्क, कोल्ड चेन सुविधाएं, लाइव फिश वेंडिंग केंद्र, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम आदि सहित समुद्री कृषि जैसी अतिरिक्त और वैकल्पिक आजीविका गतिविधियों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इनमें से कई हस्तक्षेपों को केरल के लिए पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, जिससे आजीविका को सुदृढ़ करने, क्लाइमेट रेजिलिएंस और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

केरल सरकार ने आगे सूचित किया है कि वे मत्स्यपालन विभाग और संबद्ध एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न उपायों को कार्यान्वित कर रहे हैं, जिनमें आजीविका सहायता योजनाएं, टिकाऊ मत्स्यन प्रथाओं को बढ़ावा देना, फिशरीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण, आय-सृजन गतिविधियों का विविधीकरण, संसाधन संरक्षण पहल और मत्स्यन समुदायों की क्लाइमेट रेजिलिएंस बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यक्रम शामिल हैं।
